

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
वित्त भवन "ए" ब्लॉक, जनपथ रोड़, ज्योति नगर जयपुर

(दूरभाष नं.:—0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:—jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.(ई)निप/ए/(लिंक नं.11631)/अलेसे-II/1675

दिनांक :- 03.07.2025

संशोधित आदेश

श्री हंसु कुमार अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंक नं. 11631) निलम्बित को निदेशालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 627 दिनांक 08.05.2025 के द्वारा निलम्बनकाल में दिनांक 16.01.2025 से निर्वाह भत्ता भुगतान के आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेश में संशोधन कर श्री अग्रवाल को दिनांक 14.01.2025 से नियमानुसार निर्वाह भत्ता भुगतान की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(बृजेश किशोर शर्मा)

निदेशक एवं पदेन,

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.(ई)निप/ए/(लिंक नं.11631)/अलेसे-II/1675

दिनांक :- 03.07.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री अग्रवाल के संशोधित निर्वाह भत्ता आहरण के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सम्पादन कराने का श्रम करावें।
3. श्री हंसु कुमार अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, (लिंक नं. 11631) (निलम्बित) मुख्यालय निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)